

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़, जयपुर

क्रमांक 2026

ई मेल:-mrh.sap@gmail.com
दिनांक 8/3/17

खुली निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक-बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
2	9/2016-17	आवासी बालक/बालिकाओं एवं कार्यालय के उपयोग हेतु (2 वाहन)	एक वर्ष	4.80 लाख	9600	24.03.2017 5 PM	27.03.2017 11 AM	27.03.2017 12 PM

निविदा प्रपत्र 200/- नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 24.03.17 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट [sppp. rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) एवं विभागीय वेबसाइट [sje. rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट:-1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट [sje. rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) से डाउन लोड किया जा सकता है।

3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा करती समय साथ में दिया जावे अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जायेगा।

अधीक्षक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

2027-34
8/3/17

दिनांक:-

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावे।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. श्रीमान लेखाधिकारी निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर को भेज कर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल [sppp. rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर अप लोड करवाने का श्रम करें।
5. श्रीमान उपनिदेशक (जयपुर शहर), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर, राजस्थान।
6. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट [sje. rajasthan.gov.in](http://sje.rajasthan.gov.in) पर अप लोड करवाने का श्रम करें।
7. नोटिस बोर्ड
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड

अधीक्षक

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़, जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेल:-mrh.sap@gmail.com

निविदा फार्म

- विषय :- दो वाहन के लिये निविदा।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता
.....
- निविदादाता का मोबाइल नं.....
- संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 9/2017-18
- निविदा शुल्क की राशि 200 रु अक्षरे दो सौ मात्र नकद (रसीद संख्या)/डीडी/बैंकर्स चैक नंबर.
.....दिनांकके द्वारा जमा करा दी गई है।
- निविदा सूचना, संख्या 9/2017-18 दिनांक 08.03.2017 जोकि अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
- वाहन उपलब्ध करवाने कार्य का जो ठेके पर दिया जाना है उसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, ओर उसी आधार पर दरें दी जा रही है।
- कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
- किराये का वाहन ठेका देने बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है :-

क्रस.	कार्य का विवरण	मासिक दर	विशेष विवरण
1	लगभग 225 विमंदित महिला एवं बालकों एवं कार्यालय उपयोग हेतु। (2 वाहन)	(मय समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों के विवरण सहित) रूपये:-..... अक्षरे.....	

10. उपरोक्त अंकित दर एक वर्ष तक वैध है, आवश्यकता होने पर पारस्परिक सहमति के आधार पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है,
11. बयाना राशि (अर्नेनेस्ट मनी) रूपये. 9600/- अक्षरे रूपये. नौ हजार छः सौ मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/डी.डी. संख्या/नकद रसीद संख्या/चालान संख्या..... दिनांक जमा करा दी गई है।
12. आयकर रथाई खाता संख्या.....
13. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)
1.
 2.
 3.
 4.

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुबन्ध एवं शर्तें (किराये के वाहन की निविदा)

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. वाहन किराये पर लेने हेतु वित्तीय (व्यय-2 विभाग की आई. डी. संख्या 171700205 दिनांक 16.02.2017 के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार दो स्थानीय स्तरीय वाहन अधिकतम प्रतिवाहन प्रतिमाह की अधिकतम सीमा रु. 20000/- (1500 कि.मी. प्रतिमाह की अधिकतम सीमा) भुगतान किया जावेगा।
2. वाहन को 24x7x30 दिवस उपलब्ध करवाना होगा।
3. वाहन को चालक सहित उपलब्ध करवाना होगा तथा पेट्रोल/डीजल/ऑयल/मरम्मत संबंधी समस्त कार्य वाहन मालिक को वहन करना होगा। वाहन दुर्घटना होने एवं अन्य कोई भी नुकसान आदि भी वाहन मालिक को वहन करना होगा।
4. फर्म को धरोहर राशि रूपये 4800/- के दो डीडी/बीसी द्वारा निविदा पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। कार्य का ठेका अन्य किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।
5. फर्म को जमानत के रूपे में दो प्रतिशत अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली जयपुर के नाम से डी.डी./बीसी द्वारा जमा करानी होगी तथा धरोहर राशि अमानत राशि में समायोजित कर ली जायेगी। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी। यदि ठेके की शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो विभाग को नियमानुसार आर्थिक दण्ड देने का अधिकार होगा। फर्म द्वारा आर्थिक दण्ड जमा नहीं कराने की स्थिति में दण्ड की राशि जमानत राशि में से वसूल की जावेगी।
6. ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद में निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
7. ठेके की शर्तों का उल्लंघन होने पर विभाग को संवेदक की जोखिम व लागत पर अन्य फर्म से कार्य कराये जाने का अधिकार होगा और संविदा निरस्त करने का भी अधिकार होगा।
8. किसी प्रकार का विवाद होने पर फर्म/किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा कानूनी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पड़े तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
9. ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाताओं को 10 दिवस में 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार वित्त विभाग द्वारा जारी शर्तें एवं अनुबंध निष्पादित करना होगा। जो कि वित्त विभाग द्वारा दी गई, शर्तों के अनुरूप होगा।
10. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
11. मोहरबन्द निविदा प्रपत्र सहित दिनांक 27.03.2017 को दोपहर 11.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए एवं प्राप्त निविदाएं उसी दिन 12.00 बजे खोली जावेगीं।
12. निविदादाता द्वारा जोड़ी गई अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जावेगी।
13. संस्था में वाहन मानसिक विमंदित महिला/बालकों/बालिकाओं हेतु चाहिए। वाहन मानसिक विमंदित आवासियों की सुविधा के अनुसार क्रय समिति द्वारा तय किया जायेगा। अंतिम निर्णय क्रय समिति का होगा।

14. वाहन की आपूर्ति विभाग द्वारा विधिवत रूप से आदेश देने पर 7 दिवस में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवानी होगी।
15. वाहन अच्छी स्थिति में उपलब्ध करवाना होगा जो कि 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।
16. फर्म की सेवायें संतोषजनक होने तथा विभाग की आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि छः माह तक बढ़ायी जा सकती है।
17. परिमापित नुकसानी-निर्धारित अवधि में वाहन की आपूर्ति नहीं करने पर विलम्ब के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के एस.आर.16 के नियम 35 के अनुसार परिसमापित नुकसानी (L.D.) वसूली जायेगी।
 - क निर्धारित अवधि की एक चौथायी तक विलम्ब के लिये (2.50 प्रतिशत)
 - ख एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की आधी तक विलम्ब के लिये (5.00 प्रतिशत)
 - ग आधी अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की तीन चौथाई अवधि का विलम्ब के लिये (7.50 प्रतिशत)
 - घ तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब के लिये (10.00 प्रतिशत)
18. परिवहन विभाग से जारी वाहन का विधि मान्य कॉमर्शियल वाहन का पंजीकरण व फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक लाईसेंस पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

राजस्थान सरकार

परिशिष्ट "अ"

घोषणा पत्र

मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/ हम वाहन संबंधी कार्य करते हैं। हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है अगर कहीं अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती है/ मानी जावेगी।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता